

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 509]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 1 नवम्बर 2014—कार्तिक 10, शक 1936

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 नवम्बर 2014

क्र. एफ-बी-4-21-2014-2-पांच-(28).—मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 10, 49 तथा 52 के साथ पठित धारा 74 तथा 75 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश स्टाम्प नियम, 1942 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 2 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“2. परिभाषाएं,—इन नियमों में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “अधिनियम” से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2);

(ख) “प्राधिकृत अभिकर्ता” से अभिप्रेत है—

(एक) ऐसा व्यक्ति जो अपने प्रमुख की ओर से कार्य करने हेतु अधिकृत करने वाले मुख्तारनामे को धारण करता है;

(दो) ऐसा अभिकर्ता जो उसके प्रमुख के हस्ताक्षर के अधीन लिखित प्राधिकार द्वारा सशक्त है;

- (ग) “कलक्टर” से अभिप्रेत है, अधिनियम में यथापरिभाषित कलक्टर;
- (घ) “उप महानिरीक्षक पंजीयन” से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त उप महानिरीक्षक पंजीयन;
- (ङ) “इलेक्ट्रॉनिक पंजीयन प्रणाली या ईआरएस” से अभिप्रेत है अभिलेखों को पंजीकृत करने वाली कम्प्यूटरीकृत और वेब आधारित प्रणाली जो इन नियमों के अधीन अथवा राज्य सरकार द्वारा अथवा महानिरीक्षक पंजीयन द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों द्वारा अनुज्ञप्तिधारी सेवा प्रदाताओं अथवा प्राधिकृत उपयोगकर्ताओं के लिए अभिगम्य हो;
- (च) “इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर” का वही अर्थ होगा जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (न क) में उसके लिए दिया गया है;
- (छ) “इलेक्ट्रॉनिक स्टाम्पिंग प्रणाली या ईएसएस” से अभिप्रेत है, राज्य में अभिलेखों की इलेक्ट्रॉनिक स्टाम्पिंग की कम्प्यूटरीकृत तथा वेब आधारित प्रणाली, जो इन नियमों के अधीन या राज्य सरकार अथवा महानिरीक्षक पंजीयन द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों द्वारा अनुज्ञप्तिधारी सेवा प्रदाताओं या प्राधिकृत उपयोगकर्ताओं के लिए अभिगम्य हो;
- (ज) “ई-स्टांप या इलेक्ट्रॉनिक स्टाम्प” से अभिप्रेत है स्टाम्प शुल्क के भुगतान की अथवा किसी ऐसी अन्य राशि के भुगतान की जो किसी छापित या चिपकाए जाने वाले या फ्रेंक स्टाम्प के रूप में अन्यथा भुगतान की गई होती, द्योतक किसी कागज पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से उत्पन्न की गई कोई छाप;
- (झ) “ई-स्टाम्प कोड” से अभिप्रेत है स्टाम्प शुल्क के भुगतान के पश्चात् ईएसएस से उपयोगकर्ता को जारी किया गया अल्फा न्यूमेरिक कोड;
- (ञ) “प्ररूप” से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न प्ररूप;
- (ट) “महानिरीक्षक पंजीयन” से अभिप्रेत है, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) की धारा 3 के उपबंधों के अधीन नियुक्त महानिरीक्षक पंजीयन;
- (ठ) “अनुज्ञापन प्राधिकारी” से अभिप्रेत है, अधिनियम में यथापरिभाषित जिले का कलक्टर;
- (ड) “रजिस्ट्रीकरण अधिकारी” से अभिप्रेत है, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन नियुक्त किए गए जिला रजिस्ट्रार और उप-रजिस्ट्रार जिसमें वरिष्ठ जिला रजिस्ट्रार और वरिष्ठ उप-रजिस्ट्रार भी सम्मिलित हैं;
- (ढ) “पुनरीक्षण प्राधिकारी” से अभिप्रेत है, उप महानिरीक्षक पंजीयन;
- (ण) “अनुसूची” से अभिप्रेत है, शुल्क की दरें विहित करने वाली अधिनियम से संलग्न अनुसूचियां;
- (त) “धारा” से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा ;
- (थ) “सेवा प्रदाता” से अभिप्रेत है, इन नियमों के अधीन कोई अनुज्ञप्तिधारी जो महानिरीक्षक पंजीयन द्वारा ईएसएस तथा ईआरएस के माध्यम से अधिकथित रीति में ई-स्टाम्प बेचने तथा अन्य संबंधित सेवाएं प्रदान करने के लिए अधिकृत है;
- (द) “सेवा प्रदाता साख सीमा” से अभिप्रेत है, सेवा प्रदाता द्वारा ईएसएस के माध्यम से सरकारी खाते में अग्रिम रूप से जमा की गई उतनी रकम जो उसे ई-स्टाम्प विक्रय करने के लिए तथा उन पर राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा अधिसूचित छूट प्राप्त करने का हकदार बनाए;

- (ध) "स्लाट बुकिंग" से अभिप्रेत है, ईआरएस के माध्यम से किसी विशिष्ट तारीख पर रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के टाईम स्लाट की बुकिंग;
- (न) "स्टांप" से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (26) के अधीन यथा परिभाषित स्टाम्प;
- (प) "स्टांप वेन्डर" से अभिप्रेत है, इन नियमों के अधीन स्टाम्प का विक्रय करने के लिए प्राधिकृत अनुज्ञप्तिधारी;
- (फ) "राज्य" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश राज्य;
- (ब) "सरकार" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश सरकार;
- (भ) "स्टांप अधीक्षक" से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त, स्टाम्प अधीक्षक, मध्यप्रदेश;
- (म) उन शब्दों और अभिव्यक्तियों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हुए हैं किन्तु परिभाषित नहीं किए गए हैं वे ही अर्थ होंगे, जो कि राज्य को लागू हुए रूप में भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) तथा रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) में तथा उनके अधीन विचरित नियमों में उनके लिए दिए गए हैं."

2. नियम 3 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"3. **स्टाम्पों का वर्णन.**—अधिनियम अथवा इन नियमों द्वारा अन्यथा उपबंधित के सिवाय,—

- (क) उन समस्त शुल्कों का जो कि किसी लिखत पर प्रभार्य हों, भुगतान किया जाएगा तथा ऐसे भुगतान को, ऐसी लिखत पर, अधिनियम के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा जारी किए गए स्टाम्पों द्वारा जिन पर कि हिन्दी भाषा में "मध्यप्रदेश" लिखा होगा, उपदर्शित किया जाएगा; और
- (ख) ऐसे स्टाम्पों का, जो उनके सामने के भाग पर किसी शब्द या शब्दों द्वारा किसी विशिष्ट प्रकार की लिखत के लिए विनियोजित हों, किसी अन्य प्रकार की लिखत के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा.

स्पष्टीकरण.—ऐसे स्टाम्प जिन पर "मध्यप्रदेश" शब्द अंकित है सरकार द्वारा जारी किए गए समझे जाएंगे.

(2) लिखतों पर प्रभार्य शुल्क के भुगतान को उपदर्शित करने के लिए तीन प्रकार के स्टाम्प होंगे, अर्थात्—

- (क) **छापित स्टाम्प.**—इन स्टाम्पों पर शब्द "मध्यप्रदेश" के साथ अनुक्रमांक मुद्रित किया जाएगा. छापित स्टाम्प से द्योतक है समुचित अधिकारी द्वारा छापित तथा लेबल चिपकाए गए स्टाम्प कागज पर उभारे गए या उत्कीर्ण किए गए स्टाम्प और किसी फ्रेन्किंग मशीन या किसी ऐसी अन्य मशीन द्वारा छापे गए स्टाम्प जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे;
- (ख) **आसंजक स्टाम्प.**—इन स्टाम्पों के ऊपर शब्द मध्यप्रदेश अधिमुद्रित किया जाएगा. आसंजक स्टाम्प द्योतक है ऐसा स्टाम्प जिस पर न्यायालय शुल्क अंकित हो तथा जिसका न्यायालय शुल्क अधिनियम, 1870 (1870 का 7)के अधीन उपयोग किया जाना आशयित हो और ऐसे स्टाम्प पर भी जिस पर शब्द विशेष आसंजक या राजस्व या विदेशी बिल या शेयर अंतरण या एडव्होकेट या नोटेरियल या करार या ब्रोकर नोट या बीमा अंकित हो तथा अधिनियम के अधीन उपयोग किए जाने हेतु आशयित हो;
- (ग) **ई-स्टाम्प.**—इलेक्ट्रॉनिक रूप से की गई पेपर पर छाप जो स्टाम्प शुल्क या ऐसी अन्य रकम के भुगतान की द्योतक हो जिसका कि ईएएस से जारी किसी छापित, स्टाम्प या आसंजक स्टाम्प या फ्रेंक स्टाम्प के रूप में अन्यथा भुगतान किया जाता:

परंतु सरकार, अधिसूचना द्वारा, किसी एक या अधिक प्रकार के दस्तावेजों या उनके मूल्यों के लिए, किसी एक या अधिक प्रकार के स्टॉप या स्टॉप लगाने की पद्धति के माध्यम से स्टॉपित किए जाने का उपबंध कर सकेगी."।

3. नियम 20 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“20. वापसी या नवीकरण करने वाले दावे के लिए साक्ष्य.—कलक्टर, अधिनियम के अध्याय पांच के अधीन वापसी या नवीकरण का दावा करने वाले व्यक्ति या उसके द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत अभिकर्ता से साध्य के रूप में प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित की अपेक्षा कर सकेगा—

(क) शपथ या प्रतिज्ञान पर मौखिक अभिसाक्ष्य या शपथ प्रस्तुत करने की जिसमें वे परिस्थितियां उपवर्णित हों, जिनके कारण दावा प्रोदभूत हुआ है तथा यदि वह उचित समझे तो ऐसी किसी अभिसाक्ष्य या शपथ-पत्र में उपवर्णित कथन के समर्थन में साक्षियों को साक्ष्य के लिए बुला भी सकेगा;

(ख) स्टॉप विक्रेता/सेवा प्रदाता का शपथ-पत्र; और

(ग) स्टॉप विक्रेता के विक्रय रजिस्टर की संबंधित प्रविष्टि की सत्यप्रतिलिपि/सेवा प्रदाता के इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख."।

4. नियम 22 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“22 धारा 55 के अधीन वापसी पर मूल डिबेंचर को निरस्त करने की रीति.—

(1) जब कलक्टर धारा 55 के अधीन वापसी करता है तो वह मूल डिबेंचरों को, उस पर या उसके आर पार शब्द “निरस्त” लिख कर तथा तारीख सहित अपने सामान्य हस्ताक्षर से उसे निरस्त करेगा.

(2) जब वापसी की मंजूरी हो जाती है तब कलक्टर स्टॉपों को उसी समय इस प्रकार पंच करेगा कि वे पुनः प्रस्तुत नहीं किए जा सकें. ई-स्टॉप से वापसी होने की दशा में ई-स्टॉपों को ईएसएस के माध्यम से निष्क्रिय किया जाएगा."।

5. नियम 25 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“25. प्राधिकृत अनुज्ञप्तिधारी.—(1) स्टॉपों के विक्रय के लिए अनुज्ञप्तिधारियों के दो वर्ग होंगे, अर्थात्:—

(क) स्टॉप विक्रेता;

(ख) सेवा प्रदाता.

(2) सेवा प्रदाताओं के दो वर्ग होंगे, अर्थात् :—

(क) वैयक्तिक

(ख) बैंक, वित्तीय संस्थाएं, या डाक-घर."।

6. नियम 26 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“26. अनुज्ञप्ति की मंजूरी के लिए आवेदन.—(1) स्टॉप विक्रेता/सेवा प्रदाता के रूप में स्टॉप विक्रय के लिए अनुज्ञप्ति मंजूर किए जाने के लिए आवेदन प्रारूप-क में अनुज्ञापन प्राधिकारी को किया जायेगा एवं उसके साथ शासकीय

लेखा में चालान अथवा ई-भुगतान द्वारा एक हजार रुपए शुल्क जमा कर दिए जाने की रसीद संलग्न होगी. सेवा प्रदाता की अनुज्ञप्ति मंजूर किए जाने के लिए ईएसएस के माध्यम से आवेदन किया जाएगा. यह शुल्क वापसी योग्य नहीं होगा. सभी आवेदन, आवेदन-पत्र प्राप्ति की दिनांक से एक मास की कालावधि के भीतर निराकृत किए जाएंगे.

(2) **स्टांप विक्रेता के लिए पात्रता.**—अनुज्ञापन प्राधिकारी के अपने विवेकानुसार यह समाधान हो जाने पर कि आवेदक,—

- (क) आवेदन के दिनांक को 21 वर्ष से अधिक आयु का है;
- (ख) किसी शासकीय विभाग/शासकीय उपक्रम/स्थानीय निकाय में नियोजित नहीं है; तथा
- (ग) माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश की उच्चतर माध्यमिक प्रमाण-पत्र परीक्षा या किसी मान्यता प्राप्त संस्था/मंडल से समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण है, आवेदक को प्ररूप-ख में स्टॉप विक्रेता की अनुज्ञप्ति मंजूर कर सकेगा.

(3) **सेवा प्रदाता की पात्रता.**—नियम, 26 में उल्लिखित अर्हताओं के अतिरिक्त, अनुज्ञप्ति प्राधिकारी के अपने विवेकानुसार यह समाधान हो जाने पर कि आवेदक,—

- (क) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (न क) के उपबंधों के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर, कम्प्यूटर, प्रिंटर बायोमेट्रिक डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक राईटिंग पेन, वेब कैमरा, यू.पी.एस. स्कैनर एवं ऐसे कम्प्यूटर पैरीफेरल जो परिशिष्ट-क में विनिर्दिष्ट हैं तथा ब्रॉड बैंड/हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन धारित करता है;
- (ख) ई-स्टॉपो के विक्रय एवं अन्य संबंधित सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए साख-सीमा प्राप्त करने के लिए वित्तीय रूप से सक्षम है;
- (ग) कम्प्यूटर के प्रचालन की जानकारी रखता है;
- (घ) हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में सेवाएं उपलब्ध कराने में सक्षम है; और
- (ङ) भारतीय स्टॉप अधिनियम, 1899 (1899 का 2) एवं रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) तथा उनके अधीन बनाए गए नियमों का कामकाजी ज्ञान रखता है, तो आवेदक को प्ररूप-ख में सेवा प्रदाता की अनुज्ञप्ति मंजूर कर सकेगा :

परंतु नियम, 25 के उपनियम (2) के खण्ड (ख) में वर्णित श्रेणी में सेवा प्रदाता के लिए आवेदन करने वाले आवेदक की दशा में उपर्युक्त अर्हताएं सुसंगत नहीं होंगी :

परंतु यह और कि प्राधिकृत अनुज्ञप्तिधारी की अर्हता (क) ऐसी कालावधि के लिए वैकल्पिक रखी जा सकेगी जैसी की महानिरीक्षक पंजीयन द्वारा विनिश्चित की जाए.

(4) **अनुज्ञप्ति की अवधि.**—स्टॉप विक्रेता तथा सेवा प्रदाता की अनुज्ञप्ति की अवधि निम्नलिखित रीति में होगी, अर्थात् :—

- (क) **स्टॉप विक्रेता की अनुज्ञप्ति.**—स्टॉप विक्रेता की अनुज्ञप्ति एक वर्ष की कालावधि के लिए या चालू वित्तीय वर्ष के 31 मार्च तक, जो भी पहले हो, मंजूर की जाएगी.
- (ख) **सेवा प्रदाता की अनुज्ञप्ति.**—सेवा प्रदाता की अनुज्ञप्ति 2 वर्ष की कालावधि के लिए या दूसरे वित्तीय वर्ष की 31 मार्च तक, जो भी पहले हो, मंजूर की जाएगी.

- (5) **अनुज्ञप्ति का नवीकरण.**—अनुज्ञप्ति का अवसान हो जाने पर अनुज्ञापन प्राधिकारी नियम, 26 के उपनियम (1) में यथाविहित शुल्क का भुगतान होने पर उसका नवीकरण स्टॉप विक्रेता की दशा में एक वर्ष के लिए तथा सेवा प्रदाता की दशा में 2 वर्ष के लिए कर सकेगा. नवीकरण के लिए आवेदन अनुज्ञप्ति का अवसान होने के कम से कम 15 दिन पूर्व प्ररूप-क में किया जाएगा तथा इसके साथ इन नियमों के अधीन विहित शुल्क का भुगतान किए जाने की रसीद संलग्न की जाएगी. यह शुल्क वापसी योग्य नहीं होगा. नवीकरण के लिए आवेदन, आवेदन प्राप्त होने की तारीख से एक माह की कालावधि के भीतर निराकृत किए जाएंगे.
- (6) **डुप्लीकेट अनुज्ञप्ति का जारी किया जाना.**—अनुज्ञप्ति के खो जाने, नष्ट हो जाने, विरूपित हो जाने, फट जाने या अस्पष्ट हो जाने पर स्टॉप विक्रेता, अनुज्ञापन प्राधिकारी को नवीन अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए नियम 26 के उपनियम (1) में यथा अधिकथित रीति अनुसार डुप्लीकेट अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन करेगा. डुप्लीकेट अनुज्ञप्ति पांच सौ रुपए शुल्क भुगतान करने पर जारी की जाएगी.
- (7) **अनुज्ञप्ति के निबंधन तथा शर्तें.**—स्टॉप विक्रेता/ सेवा प्रदाता को अनुज्ञप्ति प्ररूप-ख में ऐसे निबंधनों तथा शर्तों पर जारी की जाएगी जैसी कि महानिरीक्षक पंजीयन द्वारा विहित की जाए. ऐसे व्यक्ति को, जो कि अनुज्ञप्तिधारी के रूप में नियुक्त किया गया है, नियम 26 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) में वर्णित किए गए अनुसार किसी नौकरी को प्राप्त करने की स्थिति में, तुरंत अपनी अनुज्ञप्ति का अभ्यर्पण करना होगा.

7. नियम, 27 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“27. **अनुज्ञप्ति का निलंबन अथवा रद्दकरण.**—अनुज्ञापन प्राधिकारी किसी भी समय किसी अनुज्ञप्तिधारी की अनुज्ञप्ति निम्नलिखित में से किसी आधार पर रद्द कर सकेगा. ऐसे आदेश की प्रति क्षेत्रीय उप महानिरीक्षक पंजीयन को पृष्ठांकित की जाएगी,—

- (क) इन नियमों के किन्हीं उपबंधों अथवा अनुज्ञप्ति की किन्हीं शर्तों के भंग होने पर;
- (ख) स्टॉपों के पर्याप्त संग्रहण या ई-स्टॉप और अन्य संबंधित सेवाओं के लिए पर्याप्त साख सीमा रखने में असमर्थ होने पर;
- (ग) अनुज्ञापन प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना एक माह से अधिक की कालावधि के लिए लगातार कार्य स्थल पर उपस्थित रहने में असफल होने पर;
- (घ) किसी अवैध संव्यवहार या अनुचित गतिविधियों में भाग लेने का दोषी होने पर;
- (ङ) ऐसे कार्यकलापों में संलिप्त रहने पर, जिससे कार्यालय में भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता हो;
- (च) विनिर्दिष्ट की गई राशि से अधिक राशि लेने पर,
- (छ) अनुज्ञप्तिधारी के किसी अन्य कदाचरण के कार्य के कारण;
- (ज) अनुज्ञप्तिधारी के विकृतचित्त होने की दशा में;
- (झ) महानिरीक्षक पंजीयन से किसी विशिष्ट वर्ग/ वर्गों की अनुज्ञप्ति रोके जाने का आदेश प्राप्त होने पर :

परन्तु किसी अनुज्ञप्ति के रद्दकरण का कोई आदेश उस दशा के सिवाय जबकि अनुज्ञप्ति का रद्दकरण उपरोक्त खण्ड (झ) के अधीन किया गया हो, तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि अनुज्ञप्तिधारी को सुनवाई का अवसर न दे दिया गया हो :

परन्तु यह और कि अनुज्ञप्तिधारी को उपरोक्त सूचना जारी होने की तारीख से अनुज्ञप्ति निलंबित हो जाएगी.

8. नियम, 27-क के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“27-क पुनरीक्षण.—क्षेत्रीय उप महानिरीक्षक पंजीयन किसी भी समय स्वप्रेरणा से अथवा किसी पक्षकार के आवेदन पर उसके द्वारा पारित किसी आदेश की वैधता अथवा औचित्य के बारे में अथवा अनुज्ञापन प्राधिकारी की कार्यवाहियों की नियमितता के बारे में, स्वयं का समाधान करने के प्रयोजन के लिए अपने समक्ष लंबित अथवा अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा निपटाए गए किसी ऐसे प्रकरण में अभिलेख मंगा सकेगा तथा उसकी परीक्षा कर सकेगा तथा उसके संबंध में ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जैसा कि वह उचित समझे :

परन्तु ऐसा कोई भी आवेदन क्षेत्रीय उप महानिरीक्षक पंजीयन द्वारा स्वप्रेरणा से, अनुज्ञापन प्राधिकारी के आदेश की तारीख से साठ दिन के अवसान के पश्चात् ग्रहण नहीं किया जायेगा तथा कोई कार्रवाई नहीं की जायेगी तथा किसी भी आदेश में तब तक कोई फेरफार नहीं किया जाएगा या उसे उलटा नहीं जाएगा, जब तक कि हितबद्ध पक्षकारों को सूचना की तामील न कर दी गई हो तथा उन्हें सुनवाई का अवसर न दे दिया गया हो.”

9. नियम 28 के स्थान पर निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“28 महानिरीक्षक पंजीयन को आवेदन.—नियम 27-क के अधीन उप महानिरीक्षक पंजीयन द्वारा पारित आदेश से व्यथित किसी व्यक्ति के आवेदन पर महानिरीक्षक पंजीयन ऐसे किसी मामले के अभिलेख मंगा सकेगा तथा उनकी जांच कर सकेगा तथा आवेदक को सुनवाई का अवसर, दिए जाने के पश्चात् ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जैसा कि वह उचित समझे. महानिरीक्षक पंजीयन द्वारा पारित आदेश उन पर अंतिम होगा.”

10. नियम 29 के स्थान पर निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“29 सेवा प्रदाताओं की जिम्मेदारी.—सेवा प्रदाता निम्नलिखित क्रियाकलापों के लिए जिम्मेदार होंगे, अर्थात् :—

- (क) ईआरएस के माध्यम से व्यक्तियों के लिए रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया आरंभ करने के लिए;
- (ख) ईआरएस के माध्यम से रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के उपबंधों के अनुसार रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजन हेतु अभिलेखों को प्रारूपित करने हेतु;
- (ग) लिखतों की विषयवस्तु, सम्पत्ति का मूल्यांकन तथा उस पर स्टांप शुल्क तथा देय पंजीयन शुल्क की गणना हेतु;
- (घ) पक्षकारों के लिए उन दस्तावेजों के लिए स्लाट की बुकिंग जिनका रजिस्ट्रीकरण अनिवार्य हो;
- (ङ) सेवा प्रदाता की साख सीमा से ई-स्टांप का भुगतान करना;
- (च) अन्य सेवाएं निष्पादित करने हेतु जैसे रजिस्ट्रीकृत दस्तावेजों की खोज, उनकी डाउनलोड प्रतियां आदि जारी करना;
- (छ) दस्तावेजों के लिए ईएसएस के माध्यम से ऐसे ई स्टांप को विनिर्मित करने और मुद्रित करने हेतु जिनके लिए रजिस्ट्रीकरण अनिवार्य नहीं है और रजिस्ट्रीकरण का विकल्प नहीं लिया गया है.”

11. नियम, 30 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“30. अनुज्ञप्तिधारियों को स्टांप/ साख सीमा प्रदाय करने की रीति :—

- (1) अनुज्ञप्त विक्रेता, यथास्थिति, उस जिले में जिसके लिए अनुज्ञप्ति मंजूर की गई है, जिला कोषालय या उप कोषालय से नगद भुगतान पर (यथाविहित बट्टा कम करके) स्टांप अभिप्राप्त करेगा.

(2) सेवा प्रदाता ईएसएस में विनिर्दिष्ट रीति में अग्रिम भुगतान के माध्यम से ई स्टॉप जारी करने के लिये साख सीमा क्रय करेगा. वह साख सीमा तक ई स्टॉप विक्रय करने के लिये हकदार होगा.”.

12. नियम 34 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“34. **बढ़ा.**—स्टॉप विक्रेता जो स्टॉप (राजस्व स्टॉप से भिन्न) खरीदता है या सेवा प्रदाता जो ई स्टॉप के लिये साख सीमा क्रय करता है उसे सरकार द्वारा समय-समय पर यथा अधिसूचित बढ़ा अनुज्ञात किया जाएगा.”.

13. नियम 38 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“38. **छापित शीट पर दर्ज की जाने वाली विशिष्टियां.**—(1) स्टॉप विक्रेता उसके द्वारा विक्रय किये जाने वाले प्रत्येक छापित पत्र (हुंडी से भिन्न) के पृष्ठ भाग पर उसका अनुक्रमांक, विक्रय की दिनांक, शब्दों में स्टॉप का मूल्य, वास्तविक क्रेता का नाम, पिता का नाम, पता, और यदि किसी अन्य व्यक्ति की ओर से क्रय किया जाए तो उस व्यक्ति का नाम तथा पता तथा संव्यवहार के पक्षकारों के नाम तथा पते और संव्यवहार के प्रतिफल तथा मूल्य यदि कोई हो, के साथ-साथ वह प्रयोजन जिसके लिए स्टॉप क्रय किया जा रहा है, पृष्ठांकित करेगा. उसी समय वह उसके द्वारा प्ररूप “ग” में रखे गए रजिस्टर में तत्स्थानी प्रविष्टियां करेगा”.

(2) **ई स्टॉप का विक्रय.**—(क) कोई व्यक्ति जो ऐसे दस्तावेजों के लिये ई स्टॉप खरीदना चाहता है जो अनिवार्य रूप से रजिस्ट्री कराने योग्य नहीं हैं और जिसे आवेदक रजिस्ट्रीकृत कराने की इच्छा नहीं रखता है वह ईएसएस में उपबंधित फार्मेट में ई-स्टॉप के लिये आवेदन करेगा. सेवा प्रदाता ई स्टॉप क्रय करने के लिये आवेदन-पत्र में दिए गए अनुसार अपेक्षित जानकारी तथा विवरण प्ररूप में प्रविष्ट करेगा. ऐसे प्रविष्ट किए विवरणों को आवेदक द्वारा प्ररूप के निकाले गए प्रिन्ट पर उसके हस्ताक्षर द्वारा सत्यापित किया जाएगा. सत्यापन के पश्चात् सेवा प्रदाता उसके इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर लगाकर, ई-स्टॉप डाउनलोड करेगा एक प्रिन्ट निकालेगा और ई-स्टॉप जारी करेगा. ई-स्टॉप ऐसे कागज और ऐसे आकार पर प्रिन्ट किया जाएगा जैसा कि महानिरीक्षक पंजीयन द्वारा विहित किया जाए. ई-स्टॉप को प्रिन्ट करने के लिये उपयोग की जाने वाली स्याही ना घुलने वाली स्थाई रूप से काली या इस संबंध में महानिरीक्षक पंजीयन द्वारा समय-समय पर विहित किए गए अनुसार होनी चाहिए. अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रीकृत किये जाने योग्य दस्तावेजों के लिये सेवा प्रदाता या उपयोगकर्ता विनिर्दिष्ट की गई रीति के अनुसार शुल्क का भुगतान करने के पश्चात् ईएसएस से “ई-स्टॉप कोड” अभिप्राप्त करेगा.

(ख) ऐसे दस्तावेजों के लिये जो कि ईआरएस के माध्यम से रजिस्ट्रीकरण के लिये प्रस्तुत किए गए हैं, स्टॉप शुल्क का भुगतान किये जाने का प्रमाणीकरण, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा ई-स्टॉप प्रमाण-पत्र जनित कर किया जाएगा. रजिस्ट्रीकरण अधिकारी इस बात का सत्यापन करेगा कि आवेदक द्वारा ईएसएस से प्राप्त “ई-स्टॉप कोड” की ईएसएस में प्रविष्टि करे तथा कोड को लॉक पर शुल्क चुका दिया गया है.

(3) **ई-स्टॉप का तरीका.**—सेवा प्रदाता केवल ईएसएस के माध्यम से अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण योग्य न होने वाले एवं रजिस्ट्रीकरण हेतु न जाए गये दस्तावेजों के लिए ई-स्टॉप जारी करने के लिये प्राधिकृत होगा, जिसमें अभिगम्यता के लिये उसे विभाग द्वारा एक यूनिक लॉगिन आई डी एवं पासवर्ड जारी किए जाएंगे. ई-स्टॉप निम्नलिखित तरीके से किया जाएगा.—

(क) ई-स्टॉप केवल अनुज्ञप्तिधारी सेवा प्रदाता अथवा ईएसएस से प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा ही जनित किया जाएगा.

(ख) प्रत्येक ई-स्टॉप धारित करेगा.—

(एक) यह सुनिश्चित करने के लिये कि वह फिर से उपयोग न किया जा सके, एक अनुक्रमांक/यूनिक पहचान संख्या;

- (दो) जारी करने का दिनांक व समय तथा स्टॉप शुल्क की राशि शब्दों व अंकों में;
- (तीन) क्रेता तथा दस्तावेज के पक्षकारों के नाम एवं पते;
- (चार) उस संपत्ति एवं दस्तावेज के भाग का संक्षिप्त विवरण, जिसके लिये ई-स्टाम्प खरीदा जा रहा है;
- (पांच) ई-स्टॉप जारी करने वाले सेवा प्रदाता/प्राधिकृत अधिकारी का यूजर आईडी एवं कोड;
- (छह) ई-स्टॉप जारी करने वाले सेवा प्रदाता/प्राधिकृत अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर/हस्ताक्षर व मुहर;
- (सात) ईएसएस की सुरक्षात्मक विशिष्टताएं जैसे प्रकाशीय जल चिन्ह, (आप्टिकल वाटर मार्क), माइक्रोप्रिन्ट एवं सुरक्षा बार-कोड;
- (आठ) महानिरीक्षक पंजीयन द्वारा यथाविनिर्दिष्ट कोई सुरक्षात्मक विशिष्टताएं अथवा अन्य विवरण.

(4) **क्रेताओं की पहचान.**— अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्ति में यथाउपदर्शित स्थल पर कार्य करेगा एवं स्टॉप क्रय करने आये व्यक्ति की उसके निर्वाचक पहचान-पत्र, स्थायी खाता संख्या पत्र, चालन अनुमति पत्र, बैंक पास-बुक, पासपोर्ट या इस संबंध में महानिरीक्षक पंजीयन द्वारा विनिर्दिष्ट किए गए किसी अन्य दस्तावेज से पहचान करने के पश्चात् स्टॉप विक्रय करेगा एवं बिना विलंब के उसे देगा.”.

14. नियम 39 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“39. **स्टॉप विक्रेता/सेवा प्रदाता द्वारा संधारित की जाने वाली पंजी/जानकारी.**—

- (1) प्रत्येक स्टॉप विक्रेता प्ररूप-ग में जनता को बेचे जाने वाले छापित पत्रों की एक पंजी रखेगा.
- (2) सेवा प्रदाता ईएसएस द्वारा जारी/विक्रीत किये गये ई-स्टॉप का दैनिक हिसाब रखेगा. जब कभी अपेक्षित किया जाए, अनुज्ञापन प्राधिकारी अथवा विभाग के किसी निरीक्षणकर्ता अधिकारी को विवरण का प्रिन्ट उपलब्ध कराया जायेगा. सेवा प्रदाता महानिरीक्षक पंजीयन अथवा/एवं इस संबंध में विनिर्दिष्ट किए गए किसी अन्य अधिकारी को किसी विशिष्ट दिन अथवा कालावधि से संबंधित निम्नलिखित जानकारी एवं रिपोर्ट देने के लिये जिम्मेदार होगा.—
- (क) कुल संग्रहण की रिपोर्ट,
- (ख) अतिरिक्त स्टॉप शुल्क की रिपोर्ट,
- (ग) निष्क्रिय (बंधित) किए गए ई-स्टॉप की रिपोर्ट,
- (घ) निरस्त किए गए ई-स्टॉप की रिपोर्ट,
- (ङ) दैनिक/साप्ताहिक/पाक्षिक/मासिक रिपोर्ट अथवा संग्रहण एवं प्रेषण चाहे गये विवरण,
- (च) महानिरीक्षक पंजीयन द्वारा अपेक्षित कोई अन्य जानकारी अथवा रिपोर्ट.”.

15. नियम 40 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“40. **हस्ताक्षर एवं मुद्रा.**— स्टॉप विक्रेता/सेवा प्रदाता स्टॉप पर अपने हस्ताक्षर एवं सम्यक् रूप से भरी हुई मुद्रा पृष्ठांकित

करेगा. मुद्रा का नमूना नीचे दिए गए अनुसार होगा :—

- 1 नाम—
- 2 अनुज्ञप्ति क्रमांक—
- 3 व्यवसाय का स्थान—
- 4 पंजी में अनुक्रमांक एवं दिनांक—

यद्यपि, ऐसे मामलों में जहां कि सेवा प्रदाता के डिजिटल हस्ताक्षर से ई-स्टांप जारी किए गए हैं; उपर्युक्त हस्ताक्षर एवं मुद्रा अपेक्षित नहीं होगी.”

16. नियम, 42 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“42. **स्टांप विक्रेता द्वारा दैनिक संव्यवहार की पंजी का संधारण.**—प्रत्येक स्टांप विक्रेता उसके दैनिक संव्यवहार की पंजी प्ररूप-ग में भी संधारित करेगा.”

17. नियम 47 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“47. **कलक्टर द्वारा मांगे जाने पर या अनुज्ञप्ति के प्रतिसंहरण पर स्टाम्पों का परिदत्त किया जाना**—प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी विक्रेता किसी भी समय कलक्टर द्वारा मांगे जाने पर अथवा उसकी अनुज्ञप्ति के प्रतिसंहरण पर या अनुज्ञप्ति त्याग देने पर, दिए गए समस्त स्टाम्प या उसके कब्जे में शेष किसी भी श्रेणी के स्टाम्प उनकी पंजी के साथ, अधिनियम तथा नियमों की प्रतियां जिन्हें वह उनके साथ निःशुल्क प्रदान करता था प्राधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत करेगा.”

18. नियम 52 के पश्चात्, निम्नलिखित नये नियम जोड़े जाएं, अर्थात् :—

“53. **ई-स्टाम्प के भुगतान का तरीका.**—ई-स्टाम्प के क्रय के लिये भुगतान, इस निमित्त महानिरीक्षक पंजीयन द्वारा यथाविनिर्दिष्ट निधि के अंतरण की किसी रीति द्वारा किया जा सकेगा.

54. **अतिरिक्त ई-स्टाम्प.**—यदि किसी कारण से, कोई व्यक्ति, जिसके पास कतिपय अंकित मूल्य के ई स्टाम्प हैं एवं उसी दस्तावेज पर अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क का भुगतान आवश्यक है तब उप पंजीयक इन नियमों में यथा उपबंधित तरीके से ऐसे अतिरिक्त मूल्य के ई-स्टाम्प जारी करेगा.

55. **ई-स्टाम्प का निष्क्रिय या लॉक किया जाना.**—किसी ई-स्टाम्प के पुनः उपयोग को रोकने के लिये उप पंजीयक या प्राधिकृत अधिकारी या लोक अधिकारी, जिसके समक्ष ई-स्टाम्प प्रस्तुत किए गए हैं, सत्यापन के पश्चात् ईएसएस में ई-स्टाम्प की यूनिक पहचान संख्या को निष्क्रिय करेगा अथवा लॉक करेगा.

56. **विनिर्देश से निम्न/द्वि वृत्तिक ई-स्टाम्प जारी करने के लिये शास्ति :**—इन नियमों के अधीन अनुज्ञप्तिधारी रहते हुए कोई व्यक्ति, इन नियमों में वर्णित अभिहीत विनिर्देश से निम्न या सुरक्षा विशिष्टताओं के बिना स्टाम्प को प्रिन्ट करने, पुनः प्रिन्ट करने, फोटोप्रति करने या अन्यथा किन्हीं अन्य साधनों के माध्यम से किसी ई स्टाम्प की अनुलिपि करने के लिये, जिसे मूल रूप में ईएसएस के माध्यम से पहले ही एक बार छापा जा चुका है, प्राधिकृत नहीं होगा. कोई भी व्यक्ति जो जांच किये जाने पर ऐसे आचरण में संलिप्त हुआ पाया जाता है वह भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का 45) के अधीन आपराधिक कार्यवाहियों का भागी होगा.

57. **ईएसएस के साथ छेड़-छाड़ करने या उसमें विध्न कारित करने के लिये शास्ति.**—कोई व्यक्ति जो जांच किये जाने पर छेड़-छाड़ करता या ऐसी किसी गतिविधि में संलिप्त पाया जाता है जिसका परिणाम ईएसएस के निर्बाध संचालन का भंग है, वह भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का 45) के अधीन आपराधिक कार्यवाहियों का भागी होगा.

58. नियमों के अतिलंघन के लिये शास्ति.—इन नियमों या अनुज्ञप्ति की शर्तों का कोई अतिलंघन उसकी अनुज्ञप्ति के धारक को इस अधिनियम या इन नियमों के अधीन किसी शास्ति के अतिरिक्त उसकी अनुज्ञप्ति के निरस्तीकरण का भागी बनायेगा.

59. विवादों का समाधान.—इन नियमों में के उपबंधों के संबंध में किसी विवाद या किसी विवाद्यक की दशा में उस पर महानिरीक्षक पंजीयन का विनिश्चय अंतिम होगा और अनुज्ञप्तिधारी पर बंधनकारी होगा.

60. सामान्य अधीक्षण तथा नियंत्रण.—अनुज्ञप्ति प्राधिकारी उसकी शक्तियों का प्रयोग महानिरीक्षक पंजीयन के सामान्य. अधीक्षण तथा नियंत्रण के अधीन करेगा.”.

19. परिशिष्ट-तीन में प्ररूप-क, प्ररूप-ख तथा प्ररूप-ग के स्थान पर, निम्नलिखित नए प्ररूप स्थापित किए जाएं, अर्थात् :—

“परिशिष्ट—तीन”

प्ररूप—क

नवीन अनुज्ञप्ति/नवीनीकरण/अनुलिपि अनुज्ञप्ति
(स्टांप विक्रेता/सेवा प्रदाता के लिए) हेतु आवेदन का प्ररूप

अनुज्ञप्तिधारी का स्वयं
के द्वारा प्रमाणित
पासपोर्ट आकार का
फोटो

- | | | | |
|----|--|---|-------|
| 1. | आवेदक का नाम | : | |
| 2. | पिता का नाम | : | |
| 3. | निवास का पूरा पता | : | |
| 4. | जन्मतिथि (अंग्रेजी कलैण्डर के अनुसार) | : | |
| 5. | आधार संख्या, यदि कोई हो | : | |
| 6. | पेन कार्ड क्रमांक यदि कोई हो | : | |
| 7. | इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर का विवरण, यदि कोई हो | : | |
| 8. | उस स्थान का पता जहां आवेदक कार्य करने की वांछा रखता है | : | |

स्थान शहर/नगर
तहसील जिला

- | | | | |
|-----|---|---|-------|
| 9. | कार्य स्थल से निकटतम उप रजिस्ट्रार का कार्यालय | : | |
| 10. | शैक्षणिक अर्हताएं (पास की गई अंतिम परीक्षा का उल्लेख करें.) | : | |
| 11. | रकम की वह सीमा, जिसे आवेदक स्टाम्प/साख सीमा का क्रय करने में लगा सकता है. | : | |
| 12. | वर्तमान उपजीविका, यदि कोई हो | : | |
| 13. | क्या किसी अपराध में सिद्धदोष ठहराया गया है या सरकारी/निजी सेवा से हटाया गया है. (विवरण दीजिए) | : | |
| 14. | अन्य सुसंगत जानकारी, यदि कोई हो | : | |

टिप्पणी—

1. यदि अपेक्षित है, तो न्यायालय शुल्क का लेबल चिपकाईए.
2. विहित शुल्क जमा किए जाने के समर्थन में रसीद संलग्न करें.
3. जन्मतिथि तथा पास की गई अंतिम परीक्षा के समर्थन में प्रमाण-पत्र की प्रतिलिपियां संलग्न करें.
4. अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण की दशा में, पूर्व अनुज्ञप्ति संलग्न किया जाए.

मैं घोषणा करता हूं कि मैंने मध्यप्रदेश स्टांप नियम, 1942 के उपबंधों के साथ-साथ अनुज्ञप्ति की निबंधन तथा शर्तों को सावधानीपूर्वक पढ़ लिया है और मैं उनका पालन करने के लिए सहमत हूं.

स्थान

आवेदक का नाम तथा हस्ताक्षर

दिनांक

प्ररूप—ख

अनुज्ञप्ति का प्ररूप

(मध्यप्रदेश स्टांप नियम, 1942 के अधीन स्टांप का विक्रय/जारी करने हेतु)

अनुज्ञप्तिधारी का स्वयं
के द्वारा प्रमाणित
पासपोर्ट आकार का
फोटो

1. अनुज्ञप्ति का क्रमांक :
2. अनुज्ञप्तिधारी का नाम, पिता का नाम तथा निवास का पता :
3. कारोबार के स्थान का पता जहां अनुज्ञप्तिधारी अपने कारोबार को चलाएगा. :

स्थान शहर/नगर
तहसील जिला

4. यह अनुज्ञप्ति, अनुज्ञप्तिधारी को मध्यप्रदेश स्टांप नियम, 1942 के उपबंधों तथा अनुज्ञप्ति की शर्तों के अधीन रहते हुए कारोबार करने का हकदार बनाती है.

5. इस अनुज्ञप्ति के अधीन स्टांप के विक्रय/जारी किया जाना केवल इस अनुज्ञप्ति के अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किया जाएगा.

6. किसी स्टांप नियम का अतिलंघन धारक को भारतीय स्टांप अधिनियम, 1899 और मध्यप्रदेश स्टांप नियम, 1942 में विहित शास्ति का दायी बनाएगा.

7. अनुज्ञप्ति के किसी भी नियम अथवा शर्तों के उल्लंघन या अनुज्ञप्ति की कोई अन्य अनियमितता, उक्त अधिनियम तथा नियमों के अधीन अनुज्ञप्ति को रद्द करने तथा कोई जुर्माना अधिरोपित करने का भी दायित्वाधीन बनाएगी.

8. अनुज्ञप्ति दिनांक से दिनांक तक मंजूर/नवीकृत की जाती है।

स्थान
तारीख

हस्ताक्षर,
अनुज्ञप्ति प्राधिकारी का नाम तथा मुद्रा

निबंधन तथा शर्तें

1. अनुज्ञप्तिधारी, ऐसे निर्देशों का अनुपालन करेगा जैसे कि अनुज्ञप्ति प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर दिए जाएं।
2. शासन के समस्त शोध्यों को, अनुज्ञप्तिधारी को अधिक दी गई बट्टे की कोई रकम, इन नियमों के अधीन अधिरोपित कोई जुर्माना और अन्य कुल रकम, यदि कोई है, जमा से या अनुज्ञप्तिधारी की चल अथवा अचल सम्पत्ति से, भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूल की जाएगी।

स्थान
तारीख

हस्ताक्षर,
अनुज्ञप्ति प्राधिकारी का नाम तथा मुद्रा.

प्ररूप—ग

स्टांप के दैनिक विक्रय की पंजी

अनुक्रमांक	विक्रय व दिनांक	स्टांपों का विवरण जिसमें उनकी संख्या सम्मिलित है	स्टांप का मूल्य (शब्दों में)	क्रेता का नाम, पिता का नाम और पता	यदि किसी तीसरे व्यक्ति की ओर से क्रय किया जाए तो उस व्यक्ति का नाम, पिता का नाम तथा पता	संव्यवहार के पक्षकारों के नाम और उनके पते	संव्यवहार की प्रकृति तथा प्रतिफल, यदि कोई हो	क्रेता के हस्ताक्षर तथा उसके द्वारा प्रस्तुत पहचान के सबूत का विवरण	अनुज्ञप्तिधारी हस्ताक्षर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 1 नवम्बर, 2014

क्र. एफ बी-4-21-2014-2-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ बी-4-21-2014-2-पांच(28), दिनांक 1 नवम्बर, 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

Bhopal the 1st November, 2014

No.F. B-4-21-2014-2-V(28).—In exercise of the powers conferred by Section 74 and 75 read with Section 10, 49 and 52 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 11 of 1899), as applicable to the State of Madhya Pradesh, the State Government, hereby, makes the following amendments in the Madhya Pradesh Stamp Rules, 1942, namely :—

AMENDMENT

In the said rules,—

1. For rule 2, the following rule shall be substituted. namely :—

“2, **Definitions**—In these rules, unless the context otherwise requires—

- (a) “Act” means the Indian Stamp Act, 1899 (No. II of 1899), as applicable to the State of Madhya Pradesh;
- (b) “Authorised agent” means—
 - (i) a person holding a Power of Attorney authorising him to act on behalf of his Principal; or
 - (ii) an agent empowered by written authority under the hand of his Principal;
- (c) “Collector” means the Collector as defined in the Act;-
- (d) “Deputy Inspector General of Registration” means the Deputy Inspector General of Registration appointed by the State Government;
- (e) “Electronic Registration System or ERS” means the computerised and web enabled system of registering documents electronically in the State, accessible to Licensed Service Providers, or Users authorised under these rules or by orders issued by the State Government or the Inspector General of Registration from time to time;
- (f) “Electronic Signature” shall have the same meaning as assigned to it in clause (ta) of sub-section (1) of Section 2 of the Information Technology Act, 2000 (No. 21 of 2000);
- (g) “Electronic Stamping System or ESS” means the computerised and web enabled system of e-stamping of documents in the State, accessible to Licensed Service Providers or Users authorised under these rules or by orders issued by the State Government or the Inspector General of Registration from time to time;
- (h) “e-stamp or electronic stamp” means an electronically generated impression on paper to denote the payment of stamp duty or such other amount that would have otherwise been paid as an impressed or adhesive or Franked stamp, issued from the ESS;
- (i) “e-stamp code” means the alpha numeric code issued to the user from the ESS after payment of Stamp Duty;
- (j) “Form” means Forms appended to these rules;
- (k) “Inspector General of Registration” means Inspector General of Registration appointed under the provisions of Section 3 of the Registration Act, 1908 (No, 16 of 1908);
- (l) “Licensing Authority” means the Collector of the district as defined in the Act;
- (m) “Registering Officer” means the District Registrar and Sub-Registrar appointed under the Registration Act, 1908 (No, 16 of 1908), which also include Senior District Registrar and Senior Sub-Registrar;

- (n) "Revisional Authority" means the Deputy Inspector General of Registration;
- (o) "Schedule" means the Schedules appended to the Act prescribing the rates of stamp duty;
- (P) "Section" means the section of the Act;
- (q) "Service Provider" means a licensee under these rules. authorised to sell e-stamps and to provide other related services in the manner laid down by the Inspector General or Registration, through the ESS and the ERS;
- (r) "Service Provider credit limit" means the amount deposited by a Service Provider in advance in Government account through the ESS to the extent that he shall be entitled to sell e-stamps and get discount thereon as notified by the State Government from time to time;
- (s) "Slot booking" means booking of time slots of Registering Officers on a particular date through the ERS;
- (t) "Stamp" means the stamp as defined under sub-section (26) of Section 2 of the Act;
- (u) "Stamp Vendor" means a licensee authorised to sell stamps under these rules;
- (v) "State" means the State of Madhya Pradesh.
- (w) "Government" means the Government of Madhya Pradesh;
- (x) "Superintendent of Stamps" means the Superintendent of Stamps, Madhya Pradesh, appointed by the State Government:
- (y) The words and expressions used but not defined in these rules, shall have the same meaning as assigned to them in the Indian Stamp Act, 1899 (II of 1899) and the Registration Act, 1908 (No. 16 of 1908) as applicable to the State and the rules framed thereunder.

2. For rule-3, the following rule shall be substituted, namely;—

"3. Description of stamps.—(1) Except as otherwise provided by the Act or by these rules,—

- (a) all duties with which any instrument is chargeable shall be paid and such payment shall be indicated on such instrument by means of stamps issued by the Government, bearing the words, "Madhya Pradesh" in Hindi vernacular for the purpose of the Act; and
- (b) stamp which by any word or words on the face of it is appropriated to any particular kind of instrument shall not be used for any instrument of any other kind,

Explanation: Stamps bearing the words "Madhya Pradesh" shall be deemed to have been issued by the Government.

(2) There shall be three kinds of stamps for indicating the payment of duty with which instruments are chargeable, namely;—

- (a) Impressed Stamps. These stamps shall be overprinted with the words "Madhya Pradesh" and bearing serial number. impressed stamp denotes labels affixed and impressed by the proper officer, stamps embossed or engraved on stamp paper, and also impression by a franking machine or any other machine as the State Government may, by notification specify;

(b) **Adhesive Stamp.**—These stamps shall be overprinted with the words Madhya Pradesh. Adhesive stamp denotes a stamp bearing the words Court Fee and intended to be used under the Court Fee Act, 1870 (No. 7 of 1870) and also a stamp bearing the word or words Special Adhesive or Revenue or Foreign Bill or Share Transfer Advocate or Notarial or Agreement or Brokers Note or Insurance and intended to be used under the Act;

- (c) e-stamps An electronically generated impression on paper to denote the payment of stamp duty or such other amount that would have otherwise been paid as an impressed or adhesive franked stamp issued from the ESS:

Provided that the Government may, by notification, provide for stamping to be done through any one or more type of stamps or Stamping method, for any one or more types of documents or values thereof.”.

3. For rule 20, the following rule shall be substituted, namely:—

"20 **Evidence for claiming refund-or renewal.**—The Collector may require any person or his duly authorised agent claiming a refund or renewal under Chapter V of the Act, to furnish the following as evidence—

- (a) an oral deposition on oath or affirmation or to file an affidavit, setting forth the circumstances under which the claim has arisen, and may also, if he thinks fit, call for the evidence of witnesses in support of the statement set forth in any such deposition or affidavit;
- (b) An affidavit from the Stamp Vendor/ Service Provider; and
- (c) True copy of the concerned entry of the sale register of Stamp Vendor/ the “electronic records of the Service Provider.”.

4. For rule 22, the following rule shall be substituted, namely:—

"22. **Mode of cancelling original debenture on refund under section 55.**—(1) When the Collector makes a refund under section 55, he shall cancel the original debenture by writing on or across it the word “cancelled” and his usual signature with the date thereof.

- (2) When a refund is granted, the Collector shall then and there punch the stamps in such a way that it cannot be presented again. In case of refund of e-stamp, deactivation of the e-stamp shall be done through, the ESS.

5. For rule 25, the following rule shall be Substituted, namely:—

"25. **Authorised Licensees.**—(1) There shall be two classes of licensees to sell stamp namely:—

- (a) Stamp Vendors;
- (b) Service Providers.

(2) There shall be two classes of Service Providers, namely—

- (a) Individual;
- (b) Banks, Financial Institutions, or Post Offices.”.

6. For rule 26, the following rule shall be Substituted, namely:—

"26. **Application for grant of licence.**—(1) An application for grant of licence to sell stamps as Stamp Vendor / Service Provider shall be made to the Licensing Authority in Form-A and shall be accompanied by a receipt of having paid a fee of rupees one thousand into Government account by a challan or e-payment. Application for license of Service Provider shall be made through the ESS. The fee shall not be refundable. All applications shall be disposed of within a period of one month from the date of receiving of application.

(2) **Eligibility for Stamp Vendor.**—The Licensing Authority may in its discretion on being satisfied that the applicaant,—

- (a) is over 21 years of age on the date of the application;
- (b) is not employed in any department of the Governmcnr / Government Undertaking / Local Body; and
- (c) has passed the Higher Secondary School Certificate Examination of Madhya Pradesh Board of Secondary Education or an equivalent examination from a recognised Institution/Board may grant a licence of Stamp Vendor to the applicant in Form -B.

(3) **Eligibility for Service Provider.**—In addition to the qualifications mentioned in rule 26, the Licensing Authority may, in its discretion on being satisfied that the applicant—

- (a) possesses an electronic signature as per provisions of sub-clause n(ta) of clause (1) of section 2 of the Information Technology Act, 2000, (No, 21 of 2000) Computer, Printer, Biometric device, Electronic Writing Pen, Web Camera, UPS, Scanner and any other Computer peripherals specified in Appendix-A and broad band/high speed internet connection;
- (b) is financially able to obtained credit limit for sale of e-stamps and to provide other related services;
- (c) has knowledge of computer operation;
- (d) is capable of providing services in both Hindi and English languages; and
- (e) has working knowledge of the Indian Stamp Act, 1899 (No. II of 1899) and the Registration Act. 1908 (No. 16 of 1908) and rules made thereunder grant licence of services provided to the applicant in Form-B:

Provided that in case of the applicant applying for service provider in category mentioned in clause (b) of sub-rule (2) of rule 25, the above qualifications shall not be relevant:

Provided further that qualification (a) of Authorised Licence may be kept optional for such a period as the Inspector General of Registration may decide,

(4) **Duration of licence.**—the duration of licence of a Stamp Vendor and Sirvice Porvider shall be in the following manner, namely:—

- (a) **Licence of Stamp Vendor.**—The licence of Stamp Vendor shall be granted for a period of 1 year or till 31st March of the current financial year, whichever is earlier.
- (b) **Licence of Service Provider.**—The licence of service provider shall be granted for a period of 2 years, or till 31st March of the second financial year whichever is earlier.

- (5) **Renewal of licence.**—On expiry of the licence, the Licensing Authority may renew the licence on payment of the fees as prescribed in sub-rule (1) of rule 26 for one year in case of a Stamp Vendor and for 2 years in case of a Service Provider. The application for renewal shall be made in Form-A at least 15 days before the expiry of the licence and shall be accompanied with a receipt of having paid the prescribed fee under these rules. The fee shall not be refundable. Applications for renewal shall be disposed of within a period of one month from the date of receipt of an application.
- (6) **Issue of Duplicate Licence.**—If a licence is lost, destroyed, defaced, torn or becomes illegible, the Stamp Vendor shall apply to the Licensing Authority in the same manner for a duplicate licence as laid down in sub-rule (1) of rule 26 For the grant of a new licence. Such duplicate licence shall be issued on payment of a fee of rupees five hundred.
- (7) **Terms and Conditions for Licence.**—The licence of Stamp Vendor / Service Provider shall be issued in Form-B on such terms and conditions as may be specified by the Inspector General of Registration. A person who is appointed as a Licence on his obtaining a job as mentioned in clause (b) of sub-rule (2) of rule 26 shall have to surrender his licence immediately.”.

7. For rule 27, the following rule shall be substituted, namely :—

“27. **Suspension or cancellation of licence.**—The Licensing Authority may at any time cancel the licence of the licensee on any of the grounds given below. The copy of such order shall be endorsed to the Regional Deputy Inspector General of Registration.

- (a) for breach of any provisions of these rules or of the conditions of the licence;
- (b) for incapability to store sufficient stamps or to keep sufficient credit limit for e-stamps and other related services;
- (c) for failure to attend the place of work continuously for a period exceeding one month without the prior permission of the Licensing Authority;
- (d) for being guilty of participating in any illegal transaction or. unfair dealings;
- (e) for indulging in practice which tends to encourage corruption in the office;
- (f) for charging amount in excess of what has been specified;
- (g) for any other act of misconduct on the part of the licensee;
- (h) in case the licensee is of unsound mind;
- (i) on receipt of orders from the Inspector General of Registration to discontinue a particular category / categories of licences:

Provided that no order for cancellation of licence shall be passed unless the licensee has been given an opportunity of being heard, except in case of cancellation of licence on the ground under clause (i) above:

Provided further that from the date of issue of above notice to the licensee, the licence shall remain suspended.”.

8. For rule 27-A the following rule shall be substituted namely :—

“27-A. Revision.—The Regional Deputy Inspector General of Registration may, at any time on his own motion or on the application made by any party, for the purpose of satisfying himself as to the legality or propriety of any order passed by him or as to the regularity of the proceedings of the Licensing Authority, call for and examine the record of any such case pending before him or disposed of by the Licensing Authority and may pass such order in reference thereto as he thinks fit:

Provided that no such application shall be concerned and no action shall be taken by the Deputy Inspector General of Registration on his own motion after expiry of sixty days from the date of order of Licensing Authority and no order shall be varied or reversed unless notice has been served on the parties interested and an opportunity of hearing given to them.”.

9. For rule 28, the following rule shall be substituted, namely :—

“28. **Application to the Inspector General of Registration.**—The Inspector General of Registration may, on the application of any person aggrieved by the order of the Deputy Inspector General of Registration passed under rule 27-A, may call for and examine the record of any such case and after giving an opportunity of being heard to the applicant, may pass such order as he thinks fit. The order passed by the Inspector General of Registration shall be final thereon.”.

10. For rule 29, the following rule shall be substituted, namely :—

“29. **Responsibilities of Service Providers.**—Service Providers shall be responsible for the following activities, namely :—

- (a) initiation of registration process through the ERS for individuals;
- (b) drafting of documents for the purpose of registration as per the provisions of the Registration Act, 1908 (No. 16 of 1908) through the ERS;
- (c) valuation of the subject matter property of instruments and calculation of stamp duty and Registration fees payable thereon;
- (d) booking of slot for the parties for documents which require mandatory registration;
- (e) payment for e-stamps from the Service Provider credit limit; .
- (f) performing other services like search of Registered documents, issuance of their downloaded copies etc.;
- (g) generation and printing of e-stamps through the FSS for documents for which registration is not mandatory and not opted for registration.” .

11. For rule 30, the following rule shall be substituted, namely :—

“30. **Method of supply of stamps / credit limit to licensees.**—(1) Licensed vendors shall obtain stamps on cash payment (less discount as prescribed) from the District Treasury or Sub-Treasury, as the case may be in the district for which his licence is granted.

(2) The Service Provider shall purchase credit limit to issue e-stamps through advance payment in the manner specified in the ESS. He shall be entitled to the extent of the credit limit to sell e-stamps.”.

12. For rule 34, the following rule shall be substituted, namely :—

“34. **Discount.**—The Stamp Vendor who purchases stamps (other than revenue stamps) or Service Provider who purchases credit limit for e-stamps, shall be allowed discount as notified by the Government from time to time.”.

13. for rule 38, the following rule shall be substituted, namely :—

“38. **Particulars to be entered on impressed sheet.**—(1) The Stamp Vendor shall endorse on the back of each impressed sheet (other than a hundi) sold by him; its serial number, the date of sale, the value of stamps in words, name, father’s name, address of actual purchaser, and if purchased on behalf of a third person, the name and address of that person, and the name and address of the transacting parties, and the purpose for which the stamp is being purchased, along with consideration or value of the transaction, if any. At the same time he shall make corresponding entries in a register to be kept by him in Form—C”.

(2) **Sale of e-stamps.**—(a) Any person wishing to purchase e-stamps for documents which are not compulsorily registrable and which the applicant does not wish to get registered, shall apply for e-stamps in the format provided in the ESS. The Service Provider shall enter into the Form the requisite information and details as given in the application form for purchasing e-stamp. Such entered details shall be verified by the applicant with his signature on the printout of the Form. After verification, the Service Provider shall affix his electronic signature, download the e-stamp, take a printout and issue the e-stamp. The e-stamps shall be printed on a paper and size shall be prescribed by the Inspector General of Registration. The ink to be used for the e-stamp printer must be non-washable permanent black or as prescribed by the Inspector General of Registration in his regard, from time to time. For documents that are compulsory registrable, the Service Provider or user shall obtain the “e-stamp code” from the ESS after paying the duty as per the mode specified.

(b) For documents that are presented for registration through the ERS, certification of stamp duty having been paid shall be done by the Registering Officer by generating the e-stamp certificate. The Registering Officer shall verify that duty has been paid into the ESS, the “e-stamp code” obtained by the applicant from the ESS and “locking” the code.

(3) **Manner of e-stamping.**—The Service Provider shall be authorised to issue e-stamps only through the ESS for documents that are not compulsorily registrable and nor brought for registration, for the access to which he shall be issued a unique login ID and password by the Department. e-stamping shall be done in the following manner:—

(a) e-stamps shall be generated only by licensed Service Providers or Authorised Officers from the ESS.

(b) Each e-stamp shall bear—

(i) a serial number/Unique Identification Number, to ensure that it can not be re-used;

(ii) the date and time of issuance and amount of stamp duty in words and figures;

(iii) the name and address of the purchaser and of the parties to the document;

(iv) a brief description of the property and part of the document for which the e-stamp is being purchased;

(v) the user ID and Code of the Service Provider/Authorised Officer issuing the e-stamp;

- (vi) Digital Signature/Signature and Seal of the e-stamp issuing Service Provider/Authorised Officer;
 - (vii) security features such as Optical Water Mark, Micro Print and Security barcode of the ESS;
 - (viii) any security feature or other details as specified by the Inspector General of Registration.
- (4) **Identification of the particulars.**—The licensee shall work at such place as indicated in the licence and shall sell stamp and without delay deliver them, after identification of the person who has come to purchase the stamps from a copy of his Voter Identify Card, Permanent Account Number Card, Driving Licence, Bank Pass Book, Passport or any other document which the Inspector General of Registration may specify in this regard.”.

14. for rule 39, the following rule shall be substituted, namely:—

“39. Register/information to be maintained by Stamp Vendor/Service Provider.—

- (1) Every stamp vendor shall keep a register of impressed sheets sold to the public in Form-C.
- (2) The Service Provider shall keep a daily account of e-stamp issued/sold, in the ESS. The printout of the details shall be provided to the Licensing Authority or any Inspecting Officer of the department as and when required. The Service Provider shall be responsible for furnishing the following information and reports pertaining to any specified day or period to the Inspector General of Registration or/and to any other officers specified in this behalf—
 - (a) Total Collection Reports;
 - (b) Additional Stamp Duty Reports;
 - (c) Disabled (locked) e-stamp Reports;
 - (d) Cancelled e-stamp Reports;
 - (e) Daily/Weekly/Fortnightly/Monthly reports or desired details of the collection and remittances;
 - (f) Any other information or report as may be required by the Inspector General of Registration.”.

15. For rule 40, the following rule shall be substituted, namely:—

“40. **Signature and seal.**—The Stamp Vendor/Service Provider shall endorse the stamp with his signature and duly filled with seal. The pattern of the seal shall be as under:—

- 1. Name
- 2. Licence No.
- 3. Place of practice
- 4. S. No. in the Register with date

However, in cases where the e-stamp is issued with the digital signature of the Service Provider, the above signature and seal shall not be required.

16. For rule 42, the following rule shall be substituted, namely:—

“42. **Maintenance of register of daily transactions by stamp vendor.**—Every Stamp Vendor shall also maintain a register of his daily transaction in Form-C.”.

17. For rule 47, the following rule shall be substituted, namely:—

“47. **Stamps to be delivered on demand by the Collector or on revocation of licence etc.**—Every licensed vendor, shall as any time on the demand of the Collector or on revocation or on relinquishment of his licence deliver up all stamps or any class of stamps remaining in his possession together, with the register, copies of the Act and rules which he was supplied with free of cost shall submit to the Authorised Officer.”.

18. After rule 52, the following new rules shall be added, namely:—

“53. **Mode of payment for e-stamp.**—The payment for purchase of e-stamp may be made by any mode of transferring funds as specified by the Inspector General of Registration, in this behalf.

54. **Additional e-stamps.**—If for any reason, a person who has an e-stamp of certain denomination, needs to pay an additional stamp duty on the same documents, the Sub-Registrar shall issue e-stamps for such additional value in the same way as provided in these rules.

55. **Deactivation or locking of e-stamp.**—In order to prevent re-use of an e-stamp, the Sub-Registrar or authorised officer or public officer before whom e-stamped document has been presented shall, after verification, deactivate or lock the unique identification number or the e-stamp in the ESS.

56. **Penalty for issue of below specification/duplicate e-stamp.**—No person, being a licensee under these rules shall be authorised to print stamps below the designated specification or without the security features mentioned in these rules, reprint photocopy or otherwise through any other means duplicate an e-stamp, the original of which has been printed once already from the ESS. Any person, who upon inquiry is found to be indulged in such a practice, shall be liable to face criminal proceedings under the Indian Penal Code, 1860 (No. 45 of 1860).

57. **Penalty for tampering with or causing disturbance in the ESS.**— Any person, who upon inquiry, is found to have tampered with or indulged in any activity that has resulted in the disruption of these smooth operation of the ESS, shall be liable to face criminal proceedings under the Indian Penal Code, 1860 (No. 45 to 1860)

58. **Penalties for infringement of rules.**— Any infringement of these rules or of the conditions of the licence, shall render the holder of licence thereof liable to cancellation of his licence in addition to any penalties under the Act and these rules.

59. **Resolution of disputes .**—In case of any dispute or any issue relating to the provisions in these rules, the decision of the Inspector General of Registration shall be final thereon and binding on the licensee.

60. **General superintendence and control.**—The Licensing Authority shall exercise its powers under the general superintendence and control of the Inspector General of Registration”.

19 In Appendix-III, for Form-A, Form-B and Form-C, the following new Forms shall be substituted, namdy:—

“APPENDIX-III
Form—A

Form of application for new Licence / Renewal / duplicate Licence
(for Stamp Vendor / Service Provider)

Passport Size Photo Attested by Licensee himself
--

- | | | |
|---|---|-----------------|
| 1. Applicant's name | : | |
| 2. Father's name | : | |
| 3. Full residential address | : | |
| 4. Date of birth (according to the English Calendar | : | |
| 5. Adhar Number, if any | : | |
| 6. PAN Card Number, if any | : | |
| 7. Details of Electronic Signature, if any: | : | |
| 8. Address of the place where the applicant desires to work— | : | |
| Place | | City/Town |
| Tahsil | | District |
| 9. Office of Sub-Registrar nearest to place of Work | : | |
| 10. Educational Qualifications (state the last examination passed) | : | |
| 11. Extent of amount, which the applicant can invest in purchasing stamps / limit | : | |
| 12. Present occupation, if any | : | |
| 13. Whether convicted of any criminal offence or removed from Government / Private service (give particulars) | : | |
| 14. Other relevant information, if any | : | |

Note—

1. Affix court fee label, if required.
2. Attach the receipt in support of having credited the prescribed fee
3. Attach true copies of certificates in support of date of birth and the last examination passed.
4. In case of renewal of a licence, the previous licence must be enclosed.

I declare that I have carefully read the provisions of the Madhya Pradesh Stamp Rules, 1942 as well as terms and conditions of the licence and I agree to abide by them

Place

Name and Signature of the Applicant

Date

Form— B
Form of Licence

(To sell / issue stamps under the Madhya Pradesh Stamp Rules, 1942)

Passport Size Photo Attested by Licensee himself
--

1. No. of Licence :
2. Name, Father's. Name and Residential address of licensee :
3. Address of place of business, where the licensee shall carry on the business :
- Place City/Town
- Tahsil District
4. This licence entitles the licensee to carry on the business subject to the provisions of the Madhya Pradesh Stamp Rules, 1942 and the conditions of the licence.
5. The sale / issuance of stamps under this licence shall be carried on only by the holder of the licence
6. The infringement of any of the Stamp Rules shall render the holoer liable to penalty prescribed In the Indian Stamp Act, 1899 and the Madhya Pradesh stamp Rules, 1942.
7. The Violation of any of the rules or conditions of licence or any other irregularity of the licence shall render the licence liable to cancellation and also imposition of a fine under the said Act, and the rules.
8. Licence is granted I renewed from (date) to (date)

Place:

Date:

Signature,
Name and Seal of the Licensing Authority

TERMS AND CONDITIONS

1. The Licensee shall comply With directions that may be given by Licensing Authority from time to time.
2. All dues of Government, any sum of discount paid to the licensee in excess, any fine imposed under these rules, and other sum, if any, shall be recovered from the deposit or from movable or immovable property of the licensee, as arrears of land revenue.

Place:

Date:

Signature,
Name and Seal of the Licensing Authority

Form—C

Register or daily sales of Stamps

S.No.	Date of Sale	Description of Stamps including the number	Value of Stamps (in words)	Name, father's Name and residence of the purchaser	If purchased on behalf of a third person the name, father's name and address of that person	Name of parties to the transaction and their addresses	Nature of transaction and consideration if any	Signature of the purchaser and the details of the proof of identity produced by him	Signature of the Licensee
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAVINDRA KUMAR CHOUDHARY, Dy. Secy.